सरयू राय

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।
पत्रांक 37 मं0/05/2019
दिनांक 15/01/2019

विषय : खनिज समुदान नियमावली–1960 के नियम –37 का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर छद्म खनन (Proxy Mining) करने वाले खनन पट्टाधारियों के विरुद्ध कारवाई करने तथा दोहरी भूमिका निभाकर उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले झारखंड सरकार के खान विभाग में पदस्थापित पूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों पर विधिसम्मत कारवाई करने के संबंध में.

माननीय मुख्य (खान) मंत्री,

वर्ष 2012 में प्रकाशित पुस्तक "मधु कोड़ा लूटराज" के पृष्ठ ३० पर मैंने झारखंड में वर्ष 2003 से 2009 के बीच सुनियोजित तरीक़ा से खनिज समुदान नियमावली–1960 के नियम –37 का उल्लंघन करते हुये "छद्म खनन" करने का उल्लेख किया है. इस अवधि में लौह अयस्क का विदेश व्यापार, विशेषकर पड़ोसी देश चीन के साथ, चरम पर था. खनन पर राज्य सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी काफी कम थी. बम्पर कमाई के लोभ में खनन पट्टाधारियों ने अनेक प्रकार की अनियमितता बरतीं. देश भर में हुई इन अनियमितताओं की जाँच के लिये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2012 में "जस्टिस एम बी शाह आयोग" का गठन हुआ. अपने प्रतिवेदन में आयोग ने अनियमितताओं को परत दर परत उजागर किया है और कई लौह अयस्क पट्टाधारियों द्वारा बरती गई अन्य अनियमितताओं के साथ खनिज समानुदान नियमावली – 1960 के नियम–37 का उल्लंघन भी संपुष्ट किया है. झारखंड में अपना काम पूरा करने के पहले ही न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग की कार्य अवधि समाप्त हो गई. फिर भी आयोग ने कम समय में ही झारखंड के लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में बरती गई गंभीर अनियमितताओं का परदाफ़ाश किया और अवैध खननकर्ताओं पर करीब 13,000 करोड रूपये क़ा अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की वसूली के कई मामले विभिन्न न्यायालयों/अभिकरणों में चले. इस संदर्भ में झारखंड सरकार के खान विभाग के कतिपय पूर्व एवं वर्तमान वरीय एवं कनीय अधिकारियों की राज्यहित के प्रतिकुल भूमिका चर्चा एवं न्यायिक समीक्षा का विषय है.

प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर हुये "छद्म खनन" के बारे में खान विभाग, झारखंड सरकार के अधिकारी अब दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और नियम-कानून की

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2401023, फैक्स : 0651-2402455, मो० : 9431114466
ई-मेल saryuroyoffice@gmail.com

धज्जियाँ उड़ाकर राज्यहित को नुकसान पहुँचा रहे हैं. शाह आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में 2013 से 2015 के बीच राज्य सरकार ने तीन जाँच समितियाँ गठित की. इनमें से एक समिति पश्चिम सिंहभूम के अपर समाहर्ता, दूसरी समिति खान विभाग के उपनिदेशक और तीसरी समिति राज्य सरकार के विकास आयुक्त के संयोजकत्व/अध्यक्षता में गठित हुई. तीनों समितियों ने अपने प्रतिवेदनों में अन्य अनियमितताओं के साथ ही खनिज समुदान नियमावली–1960 के नियम–37 का उल्लंघन कर हुये अवैध खनन यानी छद्म खनन को भी संपुष्ट किया तथा अनियमितता बरतने वालों का खनन पट्टा रद्द करने की अनुशंसा किया है. ये सभी अधिकारी आज भी खान विभाग में अथवा राज्य सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर हैं.

न्यायिक निर्देश के उपरांत कुछ माह पूर्व खनिज समुदान नियमावली–1960 के प्रासंगिक नियम के अधीन खनन पट्टाधारियों को 60 दिनों की वैधानिक नोटिस देकर सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष इनके द्वारा खनन नियमों का उल्लंघन कर की गई अनियमितताओं की सुनवाई आरम्भ हुई. सुनवाई का प्रतिवेदन करीब चार माह पूर्व खान विभाग को प्राप्त हो गया है. इसके आधार पर विभाग ने आधा दर्जन के करीब खनन पट्टाधारियों के खनन पट्टों को रद्द किया है. सूचना है कि जिन खनन पट्टाधारियों ने खनिज समुदान नियमावली–1960 के नियम –37 का उल्लंघन कर छद्म खनन किया है उन पर लगे आरोपों को साबित करनेवाले कागज़ातों को विभागीय अधिकारियों ने सुनवाई के समय सदस्य, राजस्व पर्षद के सामने प्रस्तुत नहीं किया है. पता नहीं किस दबाव में इन अधिकारियों ने सुनवाई के समय मौन साध लिया, प्रासंगिक तथ्यों को छुपा लिया और पूर्व के अपने प्रतिवेदनों में जिन कागज़ातों के आधार पर खनन पट्टाधारियों द्वारा किये गये नियम–37 के उल्लंघन को इन्होंने संपुष्ट किया है और उनका खनन पट्टा रद्द करने की अनुशंसा किया है उन कागज़ातों को सुनवाईकर्ता के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया. जबकि ये सभी कागज़ात खान विभाग की प्रासंगिक संचिकाओं में यथास्थान मौजूद हैं. ये सभी कागज़ात राज्य सरकार द्वारा पूर्व में गठित उन तीनों जाँच समितियों की संचिकाओं में भी मौजूद हैं जिन समितियों का अध्यक्ष/सदस्य रहते समय इन अधिकारियों ने जिनके आधार पर लौह अयस्क खनन पट्टाधारियों द्वारा नियम–37 का उल्लंघन सहित अन्य उल्लंघनों/

Scanned with OKEN Scanner

अनियमितताओं को संपुष्ट किया है. दुखद आश्चर्य है और सवाल भी है कि खान विभाग एवं सामान्य प्रशासन के वरीय एवं कनीय अधिकारियों ने आखिर ऐसा क्यों किया?

यदि खान विभाग और राज्य प्रशासन के ऐसे वरीय अधिकारी ही अवैध खनन के संपुष्ट सबूतों को इस तरह दबायेंगे, अवैध खननकर्ताओं को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देंगे, नियमों का उल्लंघन कर छद्म खनन करने के दोषियों की इस क़दर मदद करेंगे और महाधिवक्ता सदृश राज्य सरकार के विद्वान वकील न्यायालय के समक्ष पूर्व प्रमाणित सबूतों को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो राज्यहित एवं नियम/क़ानून की क़ीमत पर दोषियों का समूह अपने फ़ायदा के लिये नियम–क़ानून तोड़ता रहेगा और राज्यहित और जनहित पर करारा चपत लगाता रहेगा.

नियम– 37 का उल्लंघन कर छद्म खनन कराने वालों में प्रमुख एक खनन पट्टाधारी एनकेपीके (निर्मल कुमार प्रदीप कुमार) के पक्ष में राज्य के महाधिवक्ता ने 20 किश्तों मे बक़ाया अर्थदंड का भुगतान करने की सहमति माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार से पूछे बिना अपने विवेक से दे दिया है. उन्होंने माननीय न्यायालय को यह नहीं बताया कि यह पट्टाधारी खनिज समुदान नियमावली–1960 के नियम–37 के उल्लंघन यानी छद्म खनन का दोषी है. इन्होंने 2003–04 में अपनी लौह अयस्क खदान खनन के लिये "टोरियन" नामक एक कॉंट्रेक्टर कम्पनी को दे दिया. 'टोरियन' ने कई वर्षों तक इन खनन लीज क्षेत्र पर छद्म खनन किया, खनन के बिक्री से हुये लाभांश को 'एनकेपीके' के बैंक खाता में जमा किया, स्वयं अपने खाता से कमर्शियल टैक्स, उत्पाद शुल्क और इनकम टैक्स आदि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष करों का भुगतान किया, मज़दूरों का वेतन एवं अन्य देयताओं का भुगतान किया, सरकार को रॉयल्टी का भुगतान भी अपने खाता से किया. ये सारी जानकारियाँ संबंधित बैंकों में, टैक्स संग्रह करने वाले राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के दफ़्तरों में और ख़ुद राज्य सरकार के खान विभाग की संचिकाओं में सबूत के तौर पर मौजूद हैं. लाख हेराफेरी और षड्यंत्र करके भी इन सबूतों को मिटाया नहीं जा सकता. पर इन सबूतों को दबाकर और इनपर परदा डालकर अवैध खनन के दोषियों को बचाने की साज़िश फ़िलहाल की जा रही है. सवाल है कि जब 'मेड ही खेत को खा जाने

Scanned with OKEN Scanner

पर' उतारू हो जायेगी तो फ़सल की रक्षा कैसे होगी? रखवाला ही चोर हो जायेगा तो ख़ज़ाना कैसे सुरक्षित रहेगा?

इसी प्रकार देवकाबाई भेलजी, पद्म कुमार जैन, रामेश्वर जूट मिल्स एवं कतिपय अन्य लौह अयस्क खनन पट्टाधारियों पर भी खनिज समुदान नियमावली–1960 के नियम–37 का उल्लंघन कर छद्म खनन कराने के पर्याप्त प्रमाण खान विभाग और जाँच समितियों की संचिकाओं में मौजूद हैं. पर छद्म खनन के दोषी लौह अयस्क खननपट्टाधारी चालान लेकर लौह अयस्क का खनन एवं व्यापार कर रहे हैं. एक अन्य रोचक मामला सिंहभूम मिनरल्स का भी है. सिंहभूम मिनरल्स ने 2013 मे ही नियम –37 का उल्लंघन कर छद्म खनन करने का दोष स्वीकार कर लिया था और इसके लिये क्षमायाचना कर लीज नवीकरण का अनुरोध सरकार से किया था. पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका लीज रद्द कर दिया था. अब पुनः इसकी संचिका विभिन्न स्तरों की प्रक्रियाओं से होती हुई अनुमोदन के लिये माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पहुँच गई है और कई महीनों से वहाँ पडी हुई है. सवाल है कि ऐसी संचिका को मुख्यमंत्री तक पहुँचने देने के लिये कौन जिम्मेदार है?

उपर्युक्त विवरण के आलोक में अनुरोध है कि खान विभाग एवं राज्य प्रशासन के जो भी पूर्व और वर्तमान अधिकारी छद्म खनन के दोषियों को लंबे समय से संरक्षण देते आ रहे हैं और जिन्होंने सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष सुनवाई के दौरान तमाम सबूतों के रहते हुये भी उन्हें पेश नहीं किया है उनपर कठोर कारवाई की जानी चाहिये. ऐसे अधिकारियों का समूह अवैध खननकर्ताओं की तुलना में अधिक दोषी है.

सादर,

भवदीय

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner